राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 67/2022 रे0वाद

अनवान

पतासी देवी पत्नि प्यार सिंह जाति रावत उम्र 46 वर्ष निवासी सुबेदारों की पोल, ग्राम पंचायत हामेला की वेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादीया

बनाम

1. कुशाली पुत्री लक्ष्मण सिंह उम्र 31 वर्ष।
2. कार्तिका पुत्री लक्ष्मण सिंह उम्र 28 वर्ष।
3. चन्द्रिका पुत्री लक्ष्मण सिंह उम्र 26 वर्ष।
4. प्रियंका पुत्री लक्ष्मण सिंह उम्र 20 वर्ष।
5. मैना देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह उम्र 60 वर्ष।
6. कंवरी देवी पत्नि देवी सिंह उम्र 77 वर्ष।
7. केसर सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 51 वर्ष।
8. गणपत सिंह पुत्र देवी सिंह उम्र 45 वर्ष।
9. वजे सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 77 वर्ष।

   समस्त जाति रावत निवासी सुबेदारों की पोल, ग्राम पंचायत हामेला की वेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

10. धना सिंह पुत्र राजू सिंह उम्र 73 वर्ष।
11. प्यारी बाई पुत्री हरि सिंह (उर्फ रजनी पत्नी नरपत सिंह) उम्र 48 वर्ष।
12. पानी देवी पत्नि हरि सिंह रावत उम्र 81 वर्ष।
13. शान्ता बाई पुत्री हरि सिंह पत्नी नंगा सिंह उम्र 51 वर्ष।

   समस्त जाति रावत निवासी उमरिया ग्राम पंचायत हामेला की वेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह
02. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा

निर्णय

दिनांकः–14/10/25

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते घोषणा हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ।

[signature]

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हामेला की वेर पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद में चोसला आधार सम्वत् 2076–2079 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) में खाता संख्या 65 खसरा संख्या 9149, 9166, 9168, 9171 रकबा क्रमशः 0.0809 है0, 0.0445 है0, 0.0890 है0, 0.0809 है0 कुल खसरे 04 कुल रकबा 0.2953 है0 भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 का सजरा निम्नानुसार है–

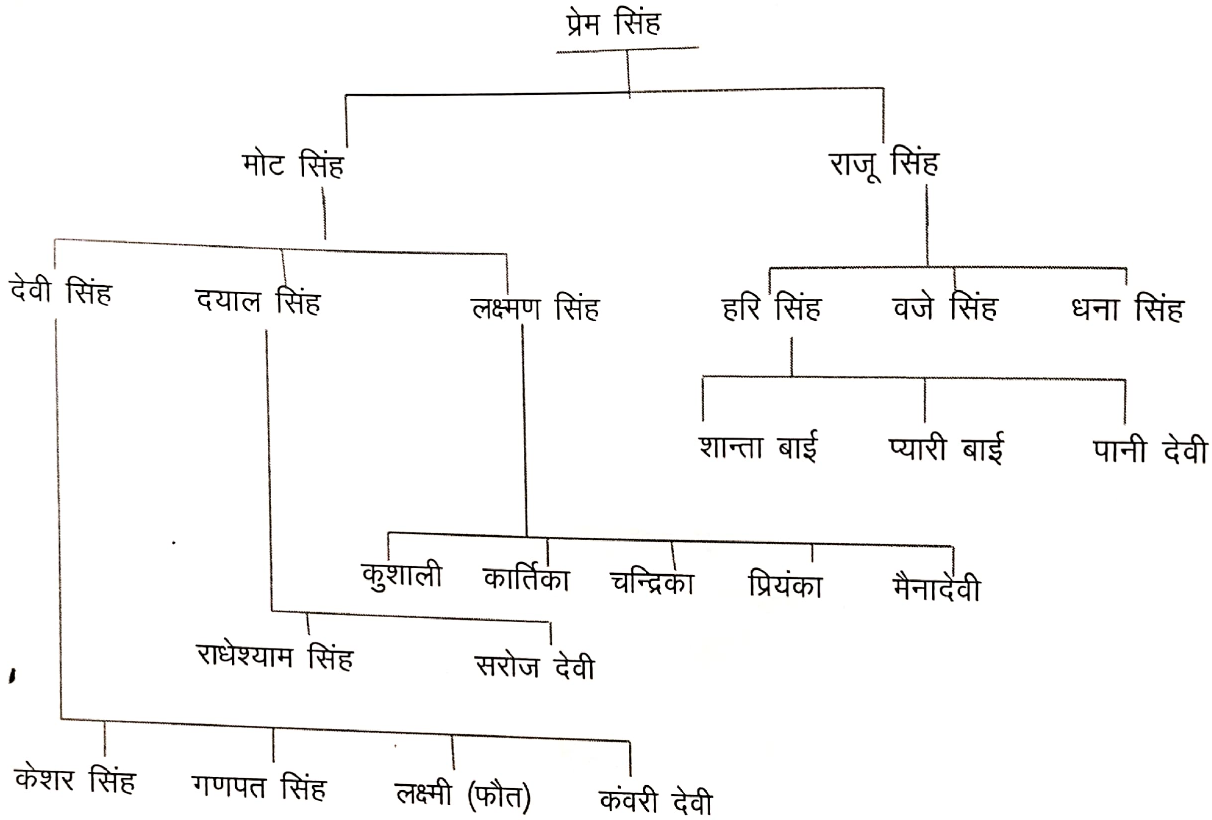

वाद में अंकित भूमि नामा. संख्या 270 नि.दि. 05.03.2016 हक त्याग से राधेश्याम सिंह पिता दयाल सिंह, सरोज देवी पत्नी दयाल सिंह हाल मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद के नाम से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पिता/पति लक्ष्मण सिंह पिता मोट सिंह के नाम पर दर्ज हुई। उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पिता/पति लक्ष्मण सिंह पिता मोट सिंह का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 08 केशर सिंह, गणपत सिंह, कंवरी देवी, लक्ष्मी देवी (फौत) का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 वजे सिंह का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 धना सिंह का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 प्यारीबाई, पानी देवी, शान्ता बाई का 1/6 हिस्सा अर्थात प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 13 का सम्पूर्ण रकबे में 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि में खसरा संख्या 9149, 9166, 9168 एवं 9171 के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार लक्ष्मण सिंह पिता मोटसिंह ने दिनांक 19.07.2018 में खाता संख्या पुराने 195 नये 65 में स्थित आराजी खसरा संख्या 9149, 9166, 9168 एवं 9171 रकबा 01 बीघा 16 विस्वा 10 विस्वांसी में से 1/3 हिस्सा अर्थात विक्रेता लक्ष्मण सिंह पिता मोट सिंह की सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि तय शुदा प्रतिफल राशि 50000/– रुपये प्राप्त कर वादीया पतासी देवी पत्नि प्यारे सिंह को बेचान कर दिया तथा स्वयं के स्थान पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

केता के रूप में बेची गई भूमि पर वादीया पतासी देवी को काबिज करा दिया। इस संबंध में लक्ष्मण सिंह पिता मोट सिंह ने रूबरू गवाहन वादीया पतासी देवी के पक्ष में एक बेचाननामा दिनांक 19.07.2018 को निष्पादित किया। उक्त बेचान नामा के अनुसार 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादीया हो गई। उक्त क्रय किये गए हिस्से का नामान्तकरण वादीया अपने पक्ष में कराने की विधिक रूप से अधिकारी है। इस संबंध में वादीया द्वारा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार को बेचाननामा की रजिस्टर्ड प्रति की सत्यप्रति देकर स्वयं के नाम अमलदरामद करने को कहा , पर पटवारी हल्का द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुनः राजस्व अभियान में रजिस्टर्ड बयनामा पेश किया जहां राजस्व अधिकारियों ने कहा कि विकेता की मृत्यु हो चुकी है एवं विरासत से नामान्तकरण उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम दर्ज हो गया इसलिए नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा पुनः बेचान करने की धमकी दी जा रही है अगर बेचान कर दिया जाए तो वादीया द्वारा क्रय किए हिस्से की कोई अहमियत नहीं रहेगी। समय पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने के कारण विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नामान्तरण दर्ज हो चुका है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम हटाकर वादीया को खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाए एवं शेष हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 13 को उनके हिस्सेनुसार रखी जावें। वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने के उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का नाम हटाया जाकर नामान्तरणकरण वादीया के नाम भरकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम अमल दरामद कराया जाए।

लिखित कथन

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र इस आधार पर न्यायालय में पेश किया गया। वाद पत्र की जांच कर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये।

साक्ष्य वादी/साक्ष्य प्रस्तुत किए

वादी को साक्ष्य हेतु समय दिया गया वादी द्वारा साक्ष्य में पूनम सिंह पुत्र रूप सिंह जाति रावत निवासी मेड़ी, हामेला की वेर तहसील भीम एवं पतासी देवी पत्नि प्यार सिंह जाति रावत उम्र 50 वर्ष निवासी सुबेदारों की पोल, हामेला की वेर तहसील भीम जिला राजसमंद के शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्रों में साक्ष्य प्रस्तुत कर्ता द्वारा उक्त आराजी के बेचाननामे को स्वीकार किया गया।

बहस

वादी को बहस हेतु समय दिया जाकर दिनांक 13.08.2025 को वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई जिसमें वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को ही पुनः दोहराया गया।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के पत्रावली में मौजूद दस्तावेज एवं बहस अनुसार प्रस्तुत वाद पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता लक्ष्मण सिंह पुत्र मोट सिंह से उक्त आराजी में बेंचानकर्ता का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 19.07.2018 खरीदा गया अतः वादी उक्त 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

दस्तावेजों के मुताबिक बैयनामा दिनांक 19.07.2018 आदिनांक वैध है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा हामेला की वेर पटवार हल्का बरार तहसील भीम के खाता संख्या 65 खसरा संख्या 9149, 9166, 9168, 9171 रकबा कमशः 0.0809 है0, 0.0445 है0, 0.0890 है0, 0.0809 है0 कुल खसरे 04 कुल रकबा 0.2953 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के सम्पूर्ण हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि यथावत रखी जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रिकॉर्ड दुरस्त करें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। इसी आशय की पर्चा डिकी जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
भीम
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द